10/01/2025	अति0 जिला कलक्टर धौलपुर (राज0) आज पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार मोरेना) की ओर से सम्बन्धित पटवारी हल्का सामौर एवं गिरदावर हल्का दिहौली उपस्थित हुये। सरकार की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।	जबाब की प्रति प्राप्त हुई	

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट द्वारा अपील में हलका पटवारी द्वारा आपसी रंजिश रखते प्रारम्भ में झूठी रिपोर्ट पेश करना तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मनियां द्वारा दिनांक 18/11/2024 को अपीलान्ट के विरुद्ध बिना साक्ष्य का अवसर दिये कथित एकतरफा आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुये नायब तहसीलदार मनियां के निर्णय दिनांक 18/11/2024 को निरस्त करते हुये अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय चाहा है।

इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने / विवादित भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी कार्यवाही की रिपोर्ट एवं जवाब अपील/स्थगन चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 07/01/2025 एवं 09/01/2025 द्वारा रिपोर्ट भेजी गई जिसकी एक प्रति वकील अपीलान्ट को दी गई।

नायब तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में अतिक्रमी को पिछले सम्वत 2080 में बेदखल करने एवं उसके पश्चातवर्ती भी पुनः सम्वत 2081 में फसल बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये सही निर्णय पारित करना बताया है। साथ ही दिनांक 6/11/2024 को राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाईश करना और अतिक्रमियों को उनकी खातेदारी भूमि चिन्हित कर अतिक्रमी को निर्णय से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना जाहिर किया है। साथ में दिनांक 6/11/2024 को सीमांकन व दिनांक 12/3/24 को सम्वत 2080 में फसल नष्ट करने का मौका फर्द भी संलग्न किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

उत्तरवादी पक्षकारान को बहस सुनी गई। जिसमें
उत्तरवादी पक्षकारान द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में
अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट
के विरूद्ध ग्राम भदई तहसील राजाखेड़ा में खसरा
नम्बर 268/242 गैर मु० बीहड़ भूमि 1.008 हैक्टेयर
भूमि पर सरसों की बुवाई करने के विरूद्ध पश्चात्वर्ती
अतिक्रमी मानते हुये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर दिनांक
18/11/2024 को फसल नष्ट करने एवं सिविल कारावास
से दंडित किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार
अतिक्रमी पश्चात्वर्ती था जिसे सम्वत् 2080 में
बेदखल किया था इसके बावजूद सम्वत्
2081 में अतिक्रमी रामवकील द्वारा पुनः फसल
सरसों बोकर खसरा नम्बर 268/242 पर अतिक्रमण
किया है। भूमि गैर मु० बीहड़ होने से अतिक्रमी
~~करना चाहिए~~ रामवकील के विरूद्ध कठोर कार्यवाही
किया जाना न्याय संगत होगा। जहाँ तक प्रिंटेड
प्रारूप में निर्णय लिखे जाने का आरोप है उससे
प्रकरण की मैरिट प्रभावित नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर
अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 18/11/2024
बहाल रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ
न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना को पालना
हेतु भेजी जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल
दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16/1/25 को खुले
न्यायालय सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ धौलपुर (राज0) ★